

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/1, राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, सिविल लाईन्स फाटक, जयपुर

क्रमांक: एफ11(125)/(कृ.राज-भो.ना-ख.छीपा)/ओबीसी/आरएण्डपी/सान्याअवि/13/

10456

दिनांक 09/02/18

अधिसूचना

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ11(125)/(कृ.राज-भो.ना-ख.छीपा)/ओबीसी/आरएण्डपी/सान्याअवि/13/72871 दिनांक 30.09.13 द्वारा कृषक (करसा) राजपूत (खरवड़, चदाना, ऊंठड़, परमार, कडेचा, तलादरा, दिया, गुल, दषाणा) समाज को राज्य की अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में क्र.स. 90 पर शामिल किया गया।

उक्त अधिसूचना दिनांक 30.09.2013 को डी.बी.सी.डब्ल्यू.पी. नं. 4707/2015 उदाराम बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 05.01.2017 द्वारा अवैध (illegal) घोषित किये जाने एवं उक्त अधिसूचना में कृषक (करसा) राजपूत (खरवड़, चदाना, ऊंठड़, परमार, कडेचा, तलादरा, दिया, गुल, दषाणा) समाज के स्थान पर राजसमंद जिले की तीन तहसील कुम्भलगढ़, नाथद्वारा एवं राजसमन्द के लिये नातरायत (करसा) राजपूत (खरवड़, चदाना, ऊंठड़, परमार, कडेचा, तलादरा, दिया, गुल, दषाणा)समाज को राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में प्रतिस्थापित किये जाने के निर्देशों की अनुपालना में क्र.स. 90 पर राजसमंद जिले की तीन तहसील कुम्भलगढ़, नाथद्वारा एवं राजसमन्द के लिये नातरायत (करसा) राजपूत (खरवड़, चदाना, ऊंठड़, परमार, कडेचा, तलादरा, दिया, गुल, दषाणा)समाज को राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में प्रतिस्थापित किया जाता है।

उक्त अधिसूचना माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लम्बित सिविल अपील डायरी संख्या 10441/2017 उदाराम बनाम यूनीयन आफ इण्डिया टैग विद अपील संख्या 6918/2017 मालवी बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान के निर्णय के अधीन (under subject to the out come of civil appeal pending before the Hon'ble Supreme Court.) रहेगी।

(जे.सी. महान्ति) 7/2/2018

अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव

क्रमांक: एफ11(125)/(कृ.राज-भो.ना-ख.छीपा)/ओबीसी/आरएण्डपी/सान्याअवि/13/
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ हेतु प्रेषित है:-

- 1) प्रमुख शासन सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर
- 2) प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान सरकार जयपुर
- 3) वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर
- 4) अध्यक्ष राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर
- 5) विशिष्ट सहायक, समस्त मंत्रीगण/ राज्य मंत्रीगण राजस्थान सरकार जयपुर
- 6) समस्त अतिरिक्त/ प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर
- 7) प्रमुख शासन सचिव, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, योजना भवन जयपुर, राज0
- 8) समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान सरकार, जयपुर
- 9) सचिव, राजस्थान विधानसभा, शासन सचिवालय, जयपुर
- 10) सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान जयपुर

10457-650

दिनांक 09/02/18

- 11) सचिव, राजस्थान राज्य अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड जयपुर राज०
- 12) सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य अन्य पिछडा वर्ग आयोग जयपुर, राज०
- 13) समस्त संभागीय आयुक्त.....
- 14) समस्त जिला कलेक्टर.....
- 15) समस्त जिला पुलिस अधिक्षक.....
- 16) सचिव समस्त आयोग / बोर्ड.....
- 17) उप निदेशक / सहायक निदेशक / जिला परीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग.....
- 18) अधिक्षक, केन्द्रीय मुद्रणालय जयपुर राज० को राजकीय राजपत्र में प्रकाशन हेतु
- 19) ए सी पी. मुख्यावास सान्याअवि को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु
- 20) गार्ड फाईल।

(डॉ. समित शर्मा)
विशिष्ट शासन सचिव